



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुरतक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आरटीई/2026/3633
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19.06.26

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला:- बालाघाट म.प्र.

विषय:-अशासकीय विद्यालय MOUNT LITERA ZEE SCHOOL DONGRIYA के नाम परिवर्तन वावत।

सन्दर्भ:-जिला परियोजना समन्वयक जिला बालाघाट के पत्र से प्राप्त विद्यालय नाम परिवर्तन प्रस्ताव।

अशासकीय विद्यालय MOUNT LITERA ZEE SCHOOL DONGRIYA स्कूल आईडी PS71630 के नाम परिवर्तन हेतु जिला परियोजना समन्वयक के पत्र के माध्यम से विद्यालय के आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित शुल्क जमा कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। विद्यालय का नाम परिवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार प्राप्त हुआ था:-

- 1:- विद्यालय का पूर्व नाम:-MOUNT LITERA ZEE SCHOOL DONGRIYA
- 2:-विद्यालय का नवीन नाम:-SARDAR PATEL INTERNATIONAL SCHOOL DONGRIYA

उक्त विद्यालय के नाम परिवर्तन संबंधी प्राप्त प्रस्ताव को मान्य किया जाता है। तदनुसार आरटीई पोर्टल पर उक्त विद्यालय का नाम पूर्व नाम के स्थान पर प्रस्तावित नवीन नाम से परिवर्तित किया जा चुका है। जिला परियोजना समन्वयक को सूचित किया जाता है कि उक्त विद्यालय का नाम UDISE- पोर्टल पर भी उक्तानुसार परिवर्तित करने की कार्यवाही करें। विद्यालय का यू-डाइस कोड पूर्ववत ही रहेगा। विद्यालय को पूर्व नाम से जारी मान्यता में वर्णित समस्त अन्य विवरण, मान एवं मानक तथा मापदंड, विद्यालय का स्थान तथा अन्य शर्तें नवीन नाम से विद्यालय संचालित होने पर भी पूर्ववत ही प्रभावशील रहेगी। मान्यता नियमों के अंतर्गत लागू समस्त शर्तें एवं दायित्व पूर्ववत ही लागू रहेंगे।

संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

(किरण कुशवाह)
नियंत्रक आरटीई
राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल दिनांक 19.06.26

पृष्ठांकन क्रमांक/राशिके/आरटीई/2026/3634
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बालाघाट की और सूचनार्थ।
- 2 प्रधानाध्यापक, अशासकीय विद्यालय MOUNT LITERA ZEE SCHOOL DONGRIYA जिला बालाघाट की और पालनार्थ।

(किरण)
नियंत्रक, आरटीई
राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-510/1529804/2023/20-3
प्रति,

भोपाल, दि 013/9/2023

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

संदर्भ:- इस विभाग का आदेश/पत्र क्रमांक-आर-1011-1012/1001/2017/
20-3, दिनांक 13.6.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश/पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ अतः अनुरोध है कि अशासकीय-माउन्ट लेटेरा जी स्कूल बालाघाट,
जिला-बालाघाट, म0प्र0 को सीबीएसई0 से संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
जारी किया गया था के स्थान पर अब स्कूल का नाम अशासकीय-सरदार पटेल
इंटरनेशनल स्कूल डोंगरिया, जिला-बालाघाट, म0प्र0 पढ़ा जाय। शेष आदेश
यथावत्।

(ओ0एल0मण्डलोई)

उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक-511/1529804/2023/20-3
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दि 013/9/2023

- (1) विशेष सहायक, मान0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग,
म0प्र0 भोपाल।
 - (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
 - (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
 - (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म0प्र0
 - (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-बालाघाट, म0प्र0
 - (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल डोंगरिया,
जिला-बालाघाट, म0प्र0।
 - (7) फोल्डर प्रति
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Principal

Mount Litera Zee School
Balaghat (M.P.)

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-161/1001/2017/20-3
प्रति,

भोपाल, दि 03/6/2017

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था माउन्ट लेटेस जी स्कूल बालाघाट, मध्यप्रदेश को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाय।
- (2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करावेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाय।
- (3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (5) संस्था की प्रबंध कार्यकारी समिति में म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
- (6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्वक भूमिका प्रदान करेंगे।

निरन्तर..2

2


Principal

Mount Litera Zee School
Balaghat (M.P.)

- (7) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (8) छात्र-छात्राओं की शालाओं में लगने वाले पुस्तक एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (9) शिक्षण संस्थाओं में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
- (10) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 अदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता की बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

संस्था आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दि0 13/6/2017

पृ0 क्रमांक-121001/2017/20-3

प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग जबलपुर, म0प्र0

निरन्तर..3


Principal

Mount Litera Zee School
Balaghat (M.P.)

1/3/17

- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बालाघाट, म०प्र०
 - (5) निज सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 - (6) प्राचार्य, माउन्ट लेटेरा जी स्कूल बालाघाट, जिला बालाघाट, म०प्र०
 - (7) फोल्डरे प्रति
- शुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव

12/6/17

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Principal

Mount Litera Zee School
Balaghat (M.P.)